न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 134/2017

1. हनुमान पुत्र लादू उम्र 82 वर्ष, जाति जाट
2. श्रीमति लिछमणा देवी उम्र 60 वर्ष पत्नि स्व0 श्री नानगा, जाति जाट
   निवासीयान माचवा वालो की ढाणी, ग्राम अवानिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलार्थी

बनाम

1. भौरी लाल पुत्र श्योकरण
2. कमला धर्मपत्नि भौरीलाल
3. सोहनलाल पुत्र श्योकरण
4. घीसीदेवी धर्मपत्नि सोहनलाल
   समस्त जाति जाट निवासीगण–सिहागों की ढाणी (अठमोरा) बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

...रेस्पाडेन्ट

प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 (क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के 1956 विरूद्व धारा 111 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत पारित आदेश, दिनांक 12/06/2017 द्वारा श्रीमान उपउप तहसीलदार बगरू, जिला जयपुर प्रकरण संख्या भू.अ./2016/706–707 उनवानी हनुमान व अन्य बनाम भौरीलाल व अन्य जिसमें खसरा नंबर 185 की कृषि भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढी के आवेदन को परिणामिक तौर पर निस्तारण अथवा निर्णित नहीं किया।

—

उपस्थितः–
1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री बनवारी शर्मा अधिवक्ता रेस्पाडेंट संख्या–एक लगायत चार की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.06.2018

अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार, बगरू जिला जयपुर द्वारा ग्राम अवानिया, तहसील सांगानेर स्थित खाता संख्या 218 में खसरा नंबर 185 रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि के सीमाज्ञान के आदेश दिनांक 12.06.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.06.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल सीमा ज्ञान आदेश से संबंधित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। उपतहसीलदार बगरू के पत्रांक/एल आर/17/ 658 दिनांक 22.12.17 से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत चार की ओर से अधिवक्ता श्री बनवारी शर्मा उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलांट्स की ग्राम अवानिया तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 185 रकबा 0.66 है0 का प्रत्यर्थी खातेदारों से सीमा विवाद

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

होने से आये दिन होने वाले तनाव व झगडे का न्यायपूर्ण निस्तारण करवाने के लिए दिनांक 28.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बगरू के समक्ष आवेदन संबंधित दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया था। अपीलांट्स की भूमि के पूर्व में पडौसी खातेदार रेस्पाडेंट संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि खसरा नंबर 186 रकबा 2.34 है0 व ख.न. 188 रकबा 0.92 है0 भूमि है जिसमें सीमा को लेकर अपीलांट्स व रेस्पाडेंट्स के विवाद है। उक्त विवाद के निपटारे के लिए अपीलांट्स के आवेदन दिनांक 28.06.2016 पर करीब एक वर्ष बाद दिनांक 11.06.2017 को उपतहसीलदार महोदय मय हल्का पटवारी 12.06.2017 को मौके पर सीमा ज्ञान करने उपस्थित हुए और सीमा ज्ञान की कार्यवाही चालू की तो रेस्पाडेंट्स व उनके लडको ने सीमा ज्ञान की कार्यवाही रूकवा दी एवं मौके पर पुलिस भी आई। जिससे उपतहसीलदार बगरू द्वारा कोई मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। उपतहसीलदार महोदय द्वारा अपने कार्यालय में मौका रिपोर्ट तैयार कर विवादित भूमि की सीमा ज्ञान रिपोर्ट बना दी गई जो विश्वसनीय व न्यायपूर्ण नहीं है। रेस्पाडेंट्स अपीलांट्स की कृषि भूमि को सीमा विवाद उत्पन्न कर कब्जा कर हडपना चाहते है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व एवं गैर जिम्मेदारान रिपोर्ट तैयार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2017 द्वारा झगडे व तनाव की स्थिति को बढा दिया है। अतः न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तथाकथित विवादित सीमा ज्ञान रिपोर्ट 12.06.2017 को निरस्त करते हुए पुनः मौके पर सीमा ज्ञान करवाया जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट्स ने कथन किया कि अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश नियमानुसार ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बगरू ने विद्यमान नक्शे के आधार पर सीमा ज्ञान किया है जो न्यायसंगत है। अपीलांट्स ने 96 सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। अपील 75(क) के तहत बंन्धोबात से संबंधित नहीं है। उक्त प्रकरण में अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय पत्रावली पर उपलब्ध उपतहसीलदार बगरू से प्राप्त सीमा ज्ञान की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि उपतहसीलदार बगरू के समक्ष अपीलांट ने दिनांक 28.06.2016 ग्राम अवानिया तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 218 खसरा नंबर 185 रकबा 0.66 है0 के आवेदन किया। आवेदन के कम में दिनांक 12.06.2017 को मौका रिपोर्ट बनायी जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा ख.न. 185 की पूर्वी सीमा का ही सीमा ज्ञान चाहे जाने पर शेष सीमाओं का सीमाज्ञान नहीं किया गया। वकील अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित भूमि पर विवाद होने के कारण सीमा ज्ञान नहीं हो सका एवं विवाद होने की स्थिति में उपतहसीलदार बगरू द्वारा सीमा ज्ञान नियमानुसार नहीं किया गया। पत्रावली में भी ए.ओ. के. कार्यालय तहसील सांगानेर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर विवाद होने की स्थिति

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

बताई गई। पटवारी हल्का द्वारा सर्किल भू0अ0निरीक्षक का सहयोग चाहा गया है। वकील रेस्पाडेंट का यह कथन है कि सीमा ज्ञान विद्यमान नक्शे के आधार पर किया गया जबकि उन्होनें नक्शे से संबंधित कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उप तहसीलदार, बगरू का आदेश दिनांक 12.06.2017 प्रकरण संख्या भू0अ0/2016/706–707 उनवानी हनुमान व भौरीलाल बाबत सीमा ज्ञान निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (**Remand**) किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जांच व्याप्त कानूनी प्रकिया तथा व्याप्त कानूनी प्रावधान अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। उपतहसीलदार बगरू को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम
कलक्टरेट, जयपुर

(डा. मोहन लाल यादव)
अति.जिला कलेक्टर-प्रथम,
जयपुर

Scanned by CamScanner